21

†तर्राष्ट्रीय सहयोग

प्रस्तावना

21.1 1919 में गठित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा के संस्थापक सदस्यों में भारत भी एक सदस्य है तथा यह 1922 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा के शासी िाकाय का सदस्य है । वर्तमाा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा के 178 सदस्य हैं । अंतराष्ट्रीय श्रम संगठा का त्रिपक्षीय स्वरूप इसकी एक प्रमुख विशेषता है । संगठा के प्रत्येक स्तर पर, सरकार दो अ-य सामाजिक भागीदारों के साथ संबद्ध है यथा, कामगार तथा ियोक्ता । अंतराष्ट्रीय श्रम संगठा के तीा घटक हैं (i) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेला - अंतराष्ट्रीय श्रम संगठा की जारल एसेंबली जोकि प्रतिवर्ष जूा में बैठक करती है, (ii) शासी ि-ाकाय - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा की कार्यकारी परिषद्, जो कि वर्ष में तीा बार, मार्च, जूा एवं ावम्बर में बैठक करती है तथा (iii) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय - एक स्थायी सचिवालय । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा के गठा के बाद से ही भारत इसकी कार्रवाई में एक सक्रिय भूमिका ािभा रहा है ।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परियोजनाएं

21.2 भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग के अंतर्गत भारतीय श्रमिकों के लिए सार्थक विभिन्न क्षेत्र जैसे रोजगार, पेशागत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन करना, प्रबंधन परामर्श में विकास, महिलाओं तथा शहरी क्षेत्र के ग रीबों के लिए लघु उद्यम कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, रोजगारपरक उच्च तकनीक प्रशिक्षण, कामगारों को शिक्षा आदि शामिल है । इनमें से कई परियोजनाएं तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों की परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु विभिन्न चरणों में हैं ।

21.3 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत में व्यावहारिक अध्ययन, परियोजना डिजाइन एवं संगठन तथा प्रशिक्षण क ार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं कार्यशाला आयोजित करने में भी तकाीकी सहायता प्रदान करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ स्रोत व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सक्रिय भागीदारी नीति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत के बीच साझ ेदारी के कारण नई दिल्ली में बहुआयामी दल (अ.श्र.सं., एस.ए.ए.टी.) तकनीकी सहयोग प्रदान करता है तथा बैंकाक स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय के तकनीकी विभाग के द्वारा भी उक्त सहयोग दिये जाते हैं। वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों में सांख्यिकीय व तकनीकी विशेषज्ञों ने सलाहकार सेवाएं प्रदाा की तथा भविष्य में संभावित साझेदारी के क्षेत्रों पर भी चर्चा की । आगामी वर्षों के लिए देश के प्रमुख कारकों की पहचान हेतु सरकार ो श्रमिक एवं नियाक्ता संगठनों के साथ मिलकर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ करीब से कार्य किया । इस पूरे कार्य ि-ाष्पादा का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देाा एवं आर्थिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, बाल श्रम उन्मूलन, कार्यस्थिति का प्रबंधन, पेशागत सुरक्षा तथा अति खतरनाक क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर ध्याा देाा था । वर्ष 2005 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया ।

†तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भाग लेना

21.4 वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रदत्त फैलोशिप के अंतर्गत पद्रह अधिकारियों को प्रशिक्षण, क ार्यशाला, सेमिनार एवं बैठकों में भेजा गया ।

†तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भारत का सहयोग

21.5 भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है तथा इसके प्रारम्भ से ही उसकी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाता आया है । प्रमुख औद्योगिक महत्ता रखाे वाले दस देशों में से एक होाे के ााते कार्यकारी निकाय के सरकारी दल में, जोकि संगठन का कार्यकारी विंग है, भारत के पास अचयनित सीट है । भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गतिविधियों में तकनीकी जनशक्ति भी मुहैया कराता है । विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए बहुत से राष्ट्रीय विशेषज्ञों को अनुबंधित किया गया ।

21.6 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से सदस्य देशों से प्राप्त अंशदान से मिलती है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बजट कैलेंडर वर्ष के अनुसार चलता है तथा वार्षिक अंशदान का भुगतान सदस्य राष्ट्रों क ी सरकारों द्वारा वर्षवार आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा नियत स्केल के आधार पर किया जाता है जोकि संयुक्त राष्ट्र के मूल्यांकन मापदण्ड के अनुसार है । भारत ो समय से अंशदान का भुगतान कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा की प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है । भारत

द्वारा वर्ष 2006 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दी गयी अंशदान की राशि 1563445 स्विस फ्रैंक्स (5,38,65,489.00 रूपये के बराबर) थी ।

२१.७ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत भारत के बहुत से संस्थानों जैसे केंद्रीय श्रम संस्थान (मुम्बई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर एवं चैन्नै), रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान एवं भारतीय तकनीकी संस्थान जैसी कई संस्थाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी प्रयोग किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

21.8 कीनिया के श्रम एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् के छः सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने 11-12 मई, 2005 को भारत का दौरा किया । इसके पश्चात् 17 से 20 मई, 2005 तक दक्षिण अफ्रीका के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का शैक्षणिक दौरा किया । भारत सरकार के निमंत्रण पर 24 से 26 अक्टूबर 2005 तक श्रम एवं सामाजिक मामलों के उपमंत्री की अध्यक्षता में चीनी गणराज्य के छः सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया । रोजगार वोकेशनल प्रशिक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत और चीन के समझौते को और तीन वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु भारत सरकार तथा चीनी गणराज्य के बीच 25 अक्तूबर 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 93वां सत्र

21.9 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 93वां सत्र 31 मई से 16 जून 2005 तक जिनेवा में आयोजित किया गया जिसमें श्री मुहम्मद अमीन, माननीय श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय त्रिपक्षीय भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया । श्री जी. विनोद, श्रम मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार भी इस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य थे ।

भारतीय श्रम सम्मेलन का 40वां सत्र

21.10 श्री के. चन्द्रशेखर राव, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में 09-10 दिसम्बर, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन का 40वां सत्र आयोजित किया गया । 9 दिसम्बर 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने किया था । 20 राज्य सरकारों के माननीय श्रम मंत्रियों ने श्रमिकों एवं नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में हिस्सा लिया और निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया :

(i) कार्य स्थिति, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभों को कवर करते हुए कृषि क्षेत्र के कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, तथा

(ii) श्रम कानूनों में संशोधन ।

21.11 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संघटन में प्रतिष्ठापित त्रिपक्षीयता की भावना के साथ, भारत का त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन / गवर्निंग बाडी के सत्रों में भाग लेता आया है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्य - नीति निर्माता ईकाई है । जहां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, इसके प्रतिनिधियों एवं सलाहकारों के विस्तृत अनुभव से लाभान्वित होते हैं वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा पिछले कुछ समय से अर्जित अनुभव से हमारे राष्ट्रीय कानूनों एवं पद्धतियों को अति आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मिलने में भी सहायता मिली है । अभी तक हमने 40 कवेंशनों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1 प्रोटोकॉल को अनुसमर्थन दिया है ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 93वां सत्र

21.12 31 मई - 16 जून 2005 तक जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 93वें सत्र का आयोजन किया गया जिसमें भारत के 23 प्रतिभागियों सहित 177 सदस्य देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागियों (सरकार, नियोक्ता एवं कामगार) के त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल ने हिस्सा लिया । इस सम्मेलन का मुख्य केन्द्र रहे व्यापक स्तर के मामलों में बेगार मजदूरों के वैश्विक उत्पीड़न को समाप्त करने के प्रयास, कार्य के स्थान पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्यावधि की पद्धतियां, नौजवानों के लिए उचित काम, अधिकृत अरब क्षेत्रों, म्यांमार और अन्य देशों में श्रमिकों की स्थिति तथा विश्व के मत्स्य क्षेत्र में कार्य स्थितियां शामिल थे । सम्मेलन में वर्ष 2006-2007 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम एवं बजट प्रस्तावों पर भी चर्चा की गयी ।

21.13 सम्मेलन का चौथा दिन बाल मजदूरी के उन्मूलन को समर्पित किया गया जिसके अंतर्गत 5 से 10 वर्षों के भीतर विश्व के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक लघु स्तरीय खनन एवं उत्खनन में से बाल मजदूरी के उन्मूलन की मांग की गयी । इस मांग का लक्ष्य पूरे विश्व में लघु स्तरीय खानों एवं खदानों में खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे 5 से 17 वर्ष तक के लगभग 10 लाख या उससे अधिक बच्चों को मुक्त करना था ।

मानकों को लागू करने संबंधी समिति

21.14 मानकों को लागू करने से संबंधित समिति ने बहुत से मामलों पर विचार विमर्श किया । ये जानकर कि वैश्वीकरण के दौर में देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए कार्यवधि की सीमा निर्धारित करना अब भी आवश्यक है । समिति ने वर्तमान उपायों में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि वे कार्यवधि की शर्तों की आधुनिक सच्चाईयों को पूर्णतः परिलक्षित नहीं करते । प्रतिनिधियों ने एक ओर तो लचीलेपन के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया और दूसरी ओर कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन पर भी जोर दिया । मानकों को लागू करने संबंधी समिति ने विश्व के विभिन्न भागों में बेगार मजदूरी के प्रयोग पर चिता जताई, यद्यपि कुछ देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और कोलंबिया पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी ।

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समिति

21.15 व्यावसायिक कार्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समिति जिसकी बैठक 31 मई, 2005 को संपन्न हुई, ने एक प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रबंधन प्रणाली दृष्टिकोण के द्वारा सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्य परिवेश को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली का नियमित विकास शामिल था । राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशनों, सिफारिशों एवं प्रैक्टिस के कोडों आदि के पक्ष में होना चाहिये ।

युवाओं के लिए रोजगार समिति

21.16 युवाओं के लिए रोजगार समिति ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने तथा युवा रोजगार कार्यसूची की एडवांसिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति की भूमिका पर विचार विमर्श किया । जहां तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के युवा रोजगार संबंधी कार्य का संबंध है, उनका कार्य एजेंडा प्रतिमान उपलब्ध कराता है तथा वैश्विक रोजगार एजेंडा जिसमें इसके दस प्रमुख तत्व तथा परस्पर समर्थक पद्धतियां शामिल हैं जैसे उत्पादक रोजगार के लिए व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना तथा विकासशील देशों को बाजार उपलब्ध कराना, उच्च उत्पादकता के लिए तकनीकी परिवर्तनों को बढ़ावा देना, नौकरियों का सृजन तथा उच्च जीवन स्तर दीर्घकालिक आजीविका के लिए दीर्घकालिक विकास, विकास एवं रोजगार के लिए मैको इकोनॉमिक नीति सुनिश्चित करने के लिए नीति एकत्व की मांग, उद्योगों के माध्यम से कार्यसृजन, ज्ञान एवं दक्षता में सुधार के द्वारा नियोजनीयता ।

मत्स्य क्षेत्र में कार्य के लिए समिति

21.17 मत्स्य क्षेत्र में कार्य के लिए समिति ने 31 मई, 2005 को बैठक की तथा अत्याधिक पुराने समझे जाने वाले मत्स्य क्षेत्र पर कन्वेंशन का प्रस्ताव दिया । सम्मेलन में गवर्निंग बॉडी से 2007 में होने वाले सम्मेलन की कार्यसूची में इसके अनुरूप मद रखने तथा सम्मेलन में दी गयी रिपोर्ट को आगे भी विचार के लिए प्रयोग में लाने के लिए कहा गया ।

अन्य गतिविधियां

21.18 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में गुट निरपेक्ष देश भी काफी सक्रिय थे तथा 9 जून, 2005 को उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन (एन ए एम) देशों के श्रम मंत्रियों की बैठक की । आंध्र प्रदेश के मंत्री जी. विनोद ने सम्मानित सभा को संबोधित किया । श्री मुहम्मद अमीन, श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल ने "बेगार मजदूरी के विरूद्ध वैश्विक गठबंधन" नामक वैश्विक रिपोर्ट पर विचार विमर्श में भाग लेते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश से बेगार मजदूरी के उन्मूलन के लिए काफी कदम उठाए हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की बैठकें

21.19 भारत के एक त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल ने 2005 के दौरान जिनेवा में हुए गवर्निंग बॉडी के 292वें, 293वें और 294वें सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

गवर्निंग बॉडी का 292वां सत्र

21.20 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का 292वां सत्र 3 से 24 मार्च, 2005 तक जिनेवा में आयोजित किया गया । गवर्निंग बॉडी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यकारी निकाय है तथा यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है ।

21.21 गवर्निंग बॉडी के 177वें सत्र (नवम्बर 1951) में गठित संस्थागत स्वतंत्रता की समिति की 3,4, तथा 11 मार्च, 2005 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय में बैठक हुई तथा गवर्निंग बॉडी को मिली शिकायतों पर चर्चा की गयी जिनमें संस्थागत स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप तथा इसी तरह के मामलों से संबंधित प्रतिवेदन शामिल थे ।

21.22 गवर्निंग बॉडी की कार्यक्रम, वित्त एवं प्रशासनिक समिति की 8,9,17 और 23 मार्च, 2005 को बैठक हुई । इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बजट प्राकलन में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि का प्रस्ताव किया । इस वृद्धि के पीछे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य तर्क यह था कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग की गतिविधियों में काफी राशि की आवश्यकता होती है अतः यह वृद्धि तर्कसंगत है । हालांकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बजट में वृद्धि के इस प्रस्ताव की बहुत से औद्योगिक विशेषता वाले प्रमुख देशों ने विरोध एवं आलोचना की ।

21.23 कानूनी मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की समिति की बैठक 18 मार्च, 2005 को हुई । भारतीय प्रतिनिधियों ने समिति के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया । समिति की मद संख्या 18 के संबंध में एशिया एवं प्रशांत समूह के समन्वयकर्ता द्वारा दिये गए सामूहिक बयान के साथ भी भारत का संबंध था । इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न मंचों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कई बार इस बात का ध्यान दिलाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में विकासशील देशों का भौगोलिक प्रतिवेदन पारदर्शी नहीं है तथा इसमें असमानता है । एशिया एवं प्रशांत समूह (ए एस पी ए जी) ने स्पष्ट लक्ष्यों वाली एक रणनीति तथा कार्यालय में भौगोलिक प्रतिवेदन सुनिश्चित करने की समयावधि बनाने की अपनी मांग को दोहराया ।

21.24 रोजगार एवं सामाजिक नीति (इ एस पी) की समिति की 16 एवं 17 मार्च, 2005 को बैठक हुई । एशिया एवं प्रशांत समूह की ओर से, भारत ने बयान दिया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र की स्थापनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे रोजगार सृजन में अपनी पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग कर सकें तथा इसलिए ये जानना जरूरी है कि उसके विकास में कौन सी बाधाएं हैं । इसमें उनके उद्देश्य को पर्याप्त महत्व देते हुए माइक्रो एवं लघु एंटरप्राइजेज के विकास के लिए नीति हेतु कामगारों एवं नियोक्ता संगठनों के कानून तथा व्यवहारिक व्यवधानों की पहचान करना, अनुसंधान करने तथा तकनीकी सहयोग कार्यक्रम उपलब्ध करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इस अनौपचारिक क्षेत्र के विकास में वैश्विक भागीदारों की सक्रिय भूमिका शामिल है । दक्षता प्रशिक्षण, उद्योगों का विकास, क्रेडिट, सहकारी तथा सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आम तौर पर गरीबों और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए अधिक एवं बेहतर नौकरी के सृजन के लिए निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

21.25 क्षेत्रीय एवं तकनीकी बैठकें तथा संबंधित मामलों पर समिति की 15 मार्च, 2005 को बैठक हुई । समिति के विचार-विमर्श में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सक्रिय रूप से भाग लिया । ए एस पी ए जी की ओर से समन्वयकर्ता द्वारा दिये गये बयान का भारत ने समर्थन किया । समन्वयकर्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि कार्रवाई कार्यक्रमों के भविष्य में विकास के लिए कार्यालय को इन्हें शुरू करने से पहले ही इसकी योजना बनाने हेतु एक पारदर्शी एवं सूत्रबद्ध पद्धति की स्थापना करनी चाहिये । प्रारंभिक प्रक्रिया काफी अस्पष्ट थी जैसे यह स्पष्ट नहीं था कि भागीदारी देशों का निर्णय कैसे लें, स्वैच्छिक अंशदान की मांग कैसे की जाए, भागीदारी की अंतिम तिथि, भागीदारी एवं स्वैच्छिक अंशदान के बीच संबंध आदि । 2006-2007 में गतिविधियों पर विचार विमर्श से इस बात पर बहस हुई कि कार्यालय को कार्रवाई कार्यक्रमों की अग्रिम गतिविधियों के लिए पारंपरिक क्षेत्रीय बैठकें करनी चाहिये ।

21.26 तकनीकी सहयोग पर समिति की 15 मार्च, 2005 को बैठक हुई तथा रिपोर्टों एवं दस्तावेजों की गुणवत्ता, यथार्थवादी दृष्टिकोण की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी ।

21.27 वैश्विकरण के सामाजिक दायरे पर निरीक्षण आयोग की 21 मार्च 2005 को बैठक हुई । भारत ने जोर दिया कि निष्पक्ष वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख

क्षेत्रों का चुाव विकासशील देशों के हित में होा चाहिये । यदि वैश्विकरण के कारण, विकासशील देश अपा प्राकृतिक तुलाात्मक श्रेष्ठता के कारण लाभ प्राप्त करो लगते हैं तो उहें अय कारणों से अस्वीकार ाहीं करा चाहिये । ारीक्षण आयोग के बीच इस बात पर सहमति बाी कि ि-ाष्पक्ष वैश्वीकरण की दिशा में विकास सुािश्चित करो के लिए उचित कार्य को वैश्विक लक्ष्य के रूप में प्रोत्साहित क राा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा की विशेष दे रही है । बहुत से प्रतिभागियों े विभिन्न विषयों पर अपो विचार व्यक्त किए । जाहिर है कि जिता भी टिप्पणियां की गई, वे वैश्विक क ार्रवाई के विषयों पर विचार करो हेतु की गयी । विचार-वि मर्श के दौरा समा विचारधारा वाले बहुत से क्षेत्र सामो आए ।

गवर्ािंग बॉडी का 293वां सत्र

21.28 17 जूा, 2005 को आयोजित गवर्ािंग बॉडी के 293वें सत्र में बहुत से मामलों के साथ-साथ एसोसिएशा की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा की समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी ।

21.29 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा की गवर्ािंग बॉडी े 2005-06 के सत्र के लिए श्री कार्लोस ए पोमाडा, श्रम मंत्री, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा, अर्जेंटीा को अध्यक्ष चुा । सर लेरोई ट्रोटमै को दोबारा कामगारों का उपाध्यक्ष चुा गया । इसी प्रकार श्री डेायिल फोस डी रियोजा को ि-ायोक्ता समूह से दोबारा उपाध्यक्ष चुा गया ।

गवर्ािंग बॉडी का 294वां सत्र

21.30 दिाांक 5 से 18 ावम्बर, 2005 को जिोवा में गवर्ािंग बॉडी का 294वां सत्र आयोजित किया गया । चूंकि इस वर्ष भारत एसोसिएशा की स्वतंत्रता पर समिति का सदस्य ाहीं था अतः किसी े समिति के विचार-विमर्श में हिस्सा ाहीं लिया ।

21.31 रोजगार एवं सामाजिक ाीति पर समिति, जिसका भारत सदस्य है, की बैठक 7 एवं 8 ावम्बर, 2005 को हुई । भारतीय प्रतिाािधियों े समिति के विचार-विमर्श में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया । कार्यसूची की मद संख्या 1 अर्थात वैश्विक रोजगार कार्यसूची : "एक अपडेट" पर भारतीय प्रतिाािधि द्वारा जोर दिया गया कि भारत सरकार ग्रामीण एवं शहरी दोाों क्षेत्रों में आजीविका के आधारभूत एवं अतिरिक्त साधा उपलब्ध करो के लिए विभिन्न रोजगार सृजा कार्यक्रम चला रही है । यह महसूस किया गया कि रोजगार ाीतियों में औपचारिक क्षेत्र में स्वरोजगार उपायों क ो बढ़ावा दो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है । अतः राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्राथमिक तौर पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जााा चाहिये । भारतीय प्रतिाािधिमण्डल े महसूस किया कि किसी भी स्थिति में आय सृजा एवं रोजगार के लिए लोगों को सशक्त बााो के लिए श्रमिकों का ाियमित दक्षता अपग्रेडेशा ही अंति म हल है ।

21.32 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा ाीति स्टेटमेंट : उपर्युक्त कार्य के लिए माइक्रो फाइोंस' से संबंधित कार्यसूची के मद पर चर्चा में भाग लेते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि वित्तीय साझेदारी के कतिपय दिशा ािर्देशों क े प्रति उाकी ािष्ठा पर माइक्रो वित्तीय संस्था-ाों की विश्वसाीयता ािर्भर करती है । इस बात की आवश्यकता आाुभव की जा सकती है कि यह सुािश्चित किया जाए कि माइक्रो फाइोंस संभावित व्यापारिक अवसर के स्थाा पर सामाजिक दायित्व के रूप में अधिक कार्य करें । अय गरीबी घटाो की -ाीतियों तथा रोजगार सृजा कार्यक्रमों के साथ संबद्ध माइक्रो फाइोंस, गरीबों को संतोषजाक जीवा उपलब्ध कराा, असंगठित को संगठित करा तथा सार्वजािक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थााों को मजबूत बााकर क ाफी उपयोगी साबित हो सकता है । साथ ही, माइक्रो फाइोंस के अभिक्रम संस्थागत रूपरेखा पर आधारित होो चाहियें तथा विकासशील विश्व की राष्ट्रीय ाीतियों के स मकक्ष होाी चाहिएं ।

21.33 उत्पादक कारक के रूप में सामाजिक सुरक्षा पर कार्यसूची के मद के संबंध में, सम्मााित सभा को सा माजिक सुरक्षा के अर्थ के विषय में अवगत कराया गया । भारत के परिप्रेक्ष्य में, इस बात पर जोर दिया गया कि :-

(क) प्रवासी श्रमिक वैश्विकरण का एक महत्वपूर्ण अकीर्तित हिस्सा है । लघु अवधि के आाुबंध पर विदेशों में काम कर रहे भारतीय सामाजिक सुरक्षा लाभ ा मिलो की समस्या का सामाा कर रहे हैं । ऐसे प्रवासी श्रमिकों को जो मेजबाा देश में काम करते हुए सामाजिक सुरक्षा अंशदाा देते हैं, काम पूरा हो जाो तथा मेजबाा देश छोड़ते स मय उाके अंशदाा का बचा हुआ हिस्सा ाहीं दिया जाता । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा अय देशों में काम कर रहे इा लघु अवधि के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ािष्पक्ष सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सृजा क रो के लिए दिशा ािर्देश बााो में सहयोग कर सकता है ।

(ख) औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ावीा सा माजिक सुरक्षा पैकेजों पर पर्याप्त ध्याा दिए जाो की आवश्यकता है ।

(ग) बहुत से उत्पादों तथा विभिन्न श्रेणियों तथा आयु वर्गों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक

व्यापक शब्द है । सामाजिक सुरक्षा की रूपरेखा को देखते हुए यह ध्याा में रखाा जरूरी है कि क्या ऐसे पैकेज आबंधों के समूह मौजूद हैं जो विभिन्न पीढ़ियों के श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करें ।

(घ) वित्तीय साझेदारी पर आधारित ाविेश रिटा को कैसे बढ़ाया जाए, बाजार के आकस्मिक उतार चढ़ाव से ाविेश को सुरक्षित रखो के विकल्प, कैसे सुाश्चित किया जाए कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वर्तमाा एवं भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली में सुधार के द्वारा सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियों के स्तर में कमी लााा, राज्य एवं व्यक्ति के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा के दायित्वों को बांटाा, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सूचाा प्रणाली को लागू कराा आदि के लिए कारकों एवं कारणों की खोज की जााी आवश्यक है ।

21.34 गवर्निंग बॉडी की वित्तीय एवं प्रशासकीय कार्यक्रम समिति की 9-10 ावम्बर, 2005 को बैठक हुई । "सामाजिक आर्थिक सुरक्षा (आई एफ पी/एस ई एस) पर इा फोकस कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांका " ाामक कार्यसूची की मद के संबंध में भारतीय प्रतिाािधि ो इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांका अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे भविष्य के लिए ाीतियां बााो में सहायता मिलती है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराो के लिए ाीति विकल्पों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा कार्यक्रम के प्रयोग के ाश्चित कारण मौजूद हैं । अाौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ावीा सामाजिक सुरक्षा पैकेजों की रूपरेखा बााो हेतु पर्याप्त ध्याा दो की आवश्यकता है । भारतीय प्रतिाािधिमण्डल ो मूल्यांका रिपोर्ट के परिणामों का समर्था किया तथा उाका विश्वास था कि सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर भविष्य के कार्य में इा परिणामों को अंतर्राष्ट्रीय बााो के लिए सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई की जाएगी ।

21.35 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा के मूल्यांका के लिए एक ाई ाीति एवं युक्तिपरक रूपरेखा के मद में भारतीय प्रतिाधिमण्डल द्वारा जोर दिया गया कि युक्तिसंगत एवं अर्थपूर्ण परिणाम के लिए किसी भी प्रयास में समयबद्ध तथा व्यापक मूल्यांका महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं । कार्यक्रम गतिविधियां ा सिर्फ प्रभावी एवं प्रत्यक्ष परिणामों के समकक्ष होाी चाहिये बल्कि भागीदारों के अंशदाा के भी अाुरूप होाा चाहिये तथा किसी गतिविधि का मूल्यांका करते समय, हम योजााबद्ध तथा प्राप्त परिणामों की तुलाा करके तदाुसार ाार्णय ले सकें । इस तरह के आवधिक मूल्यांका से सामो आए बिंदुओं को फिर भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करो तथा ज्ञाा के प्रोत्साहा करो में ाष्पादा में सुधार के लिए प्रयोग किया जा सकेगा । भारतीय प्रतिाािधिमण्डल ो कहा कि चूंकि मूल्यांका परिणामों से मध्यावधि समायोजा तथा कार्यक्रम लक्ष्यों में और सुधार की संभावाा है अतः इा मूल्यांकाों से मिली सीखों को अंतर्राष्ट्रीय बााो की आवश्यकता का समर्था किया ।

21.36 2006-2007 के लिए कार्यक्रम एवं बजट तकाीकी बैठक रिर्जव की मद के संबंध में ाम्ािलिखित अधिमाय क्रम बााया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा को ाम्ािलिखित बातों का ध्याा रखो के लिए कहा गया :-

(i) पुरूषों एवं महिलाओं के लिए बराबर वेता पर विशेषज्ञों की एक त्रिपक्षीय बैठक ।

(ii) अाौपचारिक अर्थ व्यवस्था : अंतरण को औपचारिक बााो पर अंतःक्षेत्रीय संगोष्ठी ।

(iii) क्षेत्रीय आर्थिक एकता में श्रम एवं सामाजिक मामलों पर एक संगोष्ठी ।

(iv) श्रमिक शिक्षा में ट्रेड यूाियों की भूमिका - ट्रेड यूािया सामर्थय ाािर्माण का सूत्र पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ।

21.37 तकाीकी सहयोग पर समिति की 10-11 ावम्बर, 2005 को बैठक हुई । भारतीय प्रतिाािधिमण्डल ो समिति के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

21.38 वर्गीकृत एवं तकाीकी बैठकों तथा संबंधित मामलों पर समिति की 7 ावम्बर, 2005 को बैठक हुई ।

21.39 काूाी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम माकों पर समिति (एल टी एल एस) की 11 ावम्बर, 2005 को बैठक हुई । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा के माक विषयक गतिविधियों में सुधार के संबंध में : माक विषयक ाीतियों और पद्धतियों के क्रियावया हेतु भविष्य की माक रणाीति की रूपरेखा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम माकों को प्रोत्साहा दो हेतु भारतीय प्रतिाािधि ो आंदोला (एडवोकेसी) प्रशिक्षण और तकाीकी सहयोग की स्वीकार्य कार्रवाई पर बल दिया । इस संदर्भ में भारतीय प्रतिाािधि ो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम माकों पर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा और अय अंतर्राष्ट्रीय संगठाो के बीच किसी भी प्रकार समाा सम्पर्कता के पक्ष में ाहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा पद्धति सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों को सुलझााो में सक्षम हैं । इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ किसी भी प्रकार का तकाीकी सहयोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम माकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकास के लिए और अधिक प्रभावी होगा । विकासशील देशों के हितों को ध्याा में रखाा चाहिये ।

21.40 14 ावम्बर से 18 ावम्बर, 2005 तक गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई । सचिव (एल एंड ई) ो समिति के विचार-विमर्श में भाग लिया और जहां कहीं आवश्यक हुआ, हस्तक्षेप किया । कार्यसूची की मद संख्या 1 अर्थात वैश्विक उद्देश्य के लिए एक ोक कार्य : हाल ही में हुई प्रगति और

वैश्विक ाीति फोरम के लिए प्रस्ताव, सचिव (एल एंड ई) ो संबंधित विषय पर हमारे पक्ष में हस्तक्षेप किया ।

सारांश

21.41 अंतर्राष्ट्रीय श्रम मााकों के विषय में भारत का रूख हमेशा सकारात्मक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मााकों में स्थापित मूल सिद्धांत हमारे राष्ट्रीय काूाों और विाियमों में साफ परिलक्षित होता है, विशेष तौर पर हमारे श्रम बल के अधिकारों की सुरक्षा । हमो अब तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठा सम्मेलाों के 40 सम्मेलाों और 1 प्रोटोकोल का आुस मर्था किया । विवरण तालिका 21.1 पर दिया गया है ।

तालिका 21.1

भारत द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन

क्रसं.	कन्वेंशन का ााम एवं संख्या	समर्थन तिथि
1.	सं.1 कार्य घंटे (उद्योग) कन्वेंशन 1919	14.07.1921
2. *	सं.2 बेरोजगारी कन्वेंशन, 1919	14.07.1921
3.	सं.4 रात्रि कार्य (महिलाएँ) कन्वेंशन 1919	14.07.1921
4.	सं.5 न्यूनतम आयु (उद्योग) कन्वेंशन 1919	09.09.1955
5.	सं.6 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) 1919	14.07.1921
6.	सं.11 सम्बद्धता का अधिकार (कृषि) कन्वेंशन 1921	11.05.1923
7.	सं.14 साप्ताहिक आराम (उद्योग) कन्वेंशन 1921	11.05.1923
8.	सं.15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टीकर्स) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
9.	सं.16 युवाओं की चिकित्सा परीक्षा (यतृद्ध) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
10.	सं.18 महिलाएँ प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) कन्वेंशन 1925	30.09.1927
11.	सं.19 उपचार की समानता (दुर्घटना प्रतिपूर्ति) कन्वेंशन 1925	30.09.1927
12.	सं.21 उत्प्रवासी निरीक्षण कन्वेंशन 1926	14.01.1928
13.	सं.22 सीमेंस आटीकल्स समझौता कन्वेंशन 1926	30.10.1932
14.	सं.26 न्यूनतम आर्य निर्धारण तंत्र कन्वेंशन 1928	10.01.1955
15.	सं.27 भार चिन्हीकरण (पोतों द्वारा ट्रान्सपोर्ट किए जाने वाले पैकेज) क न्वेंशन 1929	07.09.1931
16.	सं.29 बलप्रयोग श्रम कन्वेंशन 1930	30.11.1954
17.	सं.32 दुर्घटनाओं से बचाव (डॉकर्स) संशोधित कन्वेंशन 1932	10.02.1947
18@	सं.41 रात्रि कार्य (महिला) संशोधित कन्वेंशन 1934	22.11.1935
19.	सं.42 श्रमिक प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) संशोधित कन्वेंशन 1934	13.01.1964
20.	सं.45 भूमिगत कार्य (महिला) कन्वेंशन 1935	25.03.1938
21.	सं.80 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1946	17.11.1947
22. **	सं..81 श्रम निरीक्षण कन्वेंशन 1947	07.04.1949
23.	सं.88 रोजगार सेवा कन्वेंशन 1948	24.06.1959
24.	सं.89 रात्रि कार्य (महिला) संशोधित कन्वेंशन 1948	27.02.1950
25.	सं.90 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) संशोधित कन्वेंशन 1948	27.02.1950
26.	सं.100 समान मेहनताना कन्वेंशन 1951	25.09.1958
27.	सं.107 देशी एवं आदिवासी जनसंख्या कन्वेंशन 1957	29.09.1958
28.	सं.111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) कन्वेंशन 1958	03.06.1960
29.	सं.116 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1961	21.06.1962
30. #	सं.118 उपचार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) कन्वेंशन 1962	19.08.1964
31.@@	सं.123 न्यूनतम आयु (भूमिगत कार्य) कन्वेंशन 1965	20.03.1975
32.	सं.115 विकिरण बचाव कन्वेंशन 1960	17.11.1975
33.	सं.141 ग्रामीण श्रमिक संगठन कन्वेंशन 1975	18.08.1977
34.	सं.144 त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानक) कन्वेंशन 1976	27.02.1978
35.	सं.136 बेन्जीन कन्वेंशन 1971	11.06.1991
36. # #	सं 160 160 श्रमिक सांख्यिकीय कन्वेंशन 1985	01.04.1992
37.	सं.147 मर्चेंट सीपिंग (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन 1976	26.09.1996
38.	सं.122 रोजगार नीति कन्वेंशन 1964	17.11.1998
39.	सं.105 बलप्रयोग श्रम समाप्ति नीति 1957	18.05.2000
40.	सं.108 सी.फेरर्स पहचान दस्तावेज कन्वेंशन 1958	†इ.एल.ओ.को निश्चित क रना है
41.	सं.89 1990 का प्रोटोकॉल रात्रि (महिला) कन्वेंशन, (संशोधित), 1948	21.11.2003

बाद में असहमति, कन्वेंशन में प्रत्येक 3 माह बाद बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े देना अपेक्षित है जिसको व्यवहार्य नहीं माना ग या है ।

@ कन्वेंशन संख्या 89 के समर्थन के परिणामस्वरूप कन्वेंशन असहमत
**** भाग-।। छोड़कर**
 # शाखाएँ (ग) तथा (छ) तथा शाखाएँ (क) से (ग) तथा (न)
@@ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष विनिर्दिष्ट की गई थी, परन्तु 1989 में बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई ।
भाग-।। का अनुच्छेद 8
स्त्रोत श्रम मंत्रालय